संक्षिप्त

अक्षिता घुसिंगा को 18 वीं रैंक मिली

राजगढ़, (निसं)। राजगढ़ निवासी अक्षिता घुसिंगा ने इंडियन इकोनामिक सर्विस परीक्षा में एसटी वर्ग में प्रथम एवं भारत में 18 वीं रैंक हासिल की है। होनहार बेटी की कामयाबी पर उच्च शिक्षा में कार्यरत माता पिता खुश है वही इष्ट मित्रों की ओर से भी बधाई देने वालों का तांता लगा है। अक्षरा अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता एवं गुरुजनों को देती है। अक्षिता ने अपनी स्नातक एवं परास्नातक परीक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण की है। भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2022 में प्रथम प्रयास में चयनित प्रतिभा पढ़ाई में शुरू से श्रेष्ठ रही है। अर्थशास्त्र विषय से उसका नेट एवं जेआरएफ के लिए चयन हो गया। मृदुभाषी एवं मिलनसार छवि की माता डॉ रजनी मीणा एवं पिता शिंभू दयाल मीणा अपनी लाडली की कामयाबी पर गदगद है।

चौकी निर्माण के लिए भूमि आलोट

किशनगढ़ बास, (निसं)। कोटकासिम थाना की बीरनवास पुलिस चौकी को ग्रामपंचायत ऊजोली ने भवन निर्माण के लिए 4 बीघा जमीन का पट्टा आवंटित किया है। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया भिवाडी एसपी शांतनु कुमार ने पुलिस चौकी निर्माण के लिए भूमि का अनावरण किया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कान्त ने बताया कि हरियाणा से लगती हुई सीमा पर स्थित कोटकासिम पुलिस थाने की बीरनवास चौकी को ग्राम पंचायत ऊजोली के सरपंच ओमप्रकाश ने गुरुवार को बीरनवास चौकी के नाम से पंचायत की 4 बीघा जमीन अलॉट कर पट्टा एसपी शांतनु कुमार को सुपुर्द किया।

सीएसएफ सिलिगुडी सेमीफाइनल में

दौसा, (निसं)। मान क्लब दौसा के तत्वावधान में स्थानीय मान क्लब मैदान में आयोजित 7वें ऑल इण्डिया टूर्नामेंट के पांचवें दिन पहला क्वार्टर फाइनल मैच बीएसएफ सिलिगुडी एवं एफसीआई नोएडा के खिलाफ खेला गया। जिसमें पेनल्टी शूट आउट में 5.3 से जीत दर्ज कर सीएसएफ सिलिगुडी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच पंजाब पुलिस एवं जम्मू कश्मीर के बीच हुआ।

शहीद बाबा मंदिर के बाहर कब्रिस्तान लिखकर बोर्ड लगाया

चौमूं/ कालाडेरा, (निसं)। कालाडेरा कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने से मामला गर्मा गया। बोर्ड लगाने से गुस्साए हिन्दू समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सूचना पर डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से समझाइश की। जानकारी के मुताबिक कालाडेरा कस्बे की डाबर कॉलोनी में शहीद बाबा का मंदिर स्थित है। यहां हिन्दू समुदाय के लोग जात-जडूले व अन्य धार्मिक कार्यक्रम करने आते हैं। यहां पास में ही मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है। बीती रात मुस्लिम समुदाय की ओर से कब्रिस्तान मुस्लिम समाज का बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड पर अवांछित लोगों प्रवेश निषेध व अंदर खाना बनाने पर रोक लगाने की बात लिखी है।

हिन्दू समाज के लोगों ने जब बोर्ड देखा तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। गुस्साए लोगों ने धरना देकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त जमीन बागडा व जांगिड़ समाज की है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ जमीन रहने को दी थी लेकिन वे अब इसे कब्रिस्तान बनाने पर आमादा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अंदर बने मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति लगाते है। मुस्लिम समाज द्वारा पिछले साल भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोकने की कोशिश की थी। इससे हिन्दू समाज में रोष व्याप्त है।

दोनों समुदाय में विवाद की सूचना पर चौमू उपखंड अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण, जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) धर्मेन्द्र यादव, गोविन्दगढ डीवाईएसपी बालाराम चौधरी, खेजरोली नायब तहसीलदार प्यारेलाल चावला, कालाडेरा थाना प्रभारी हरबेन्द्र सिंह, गोविन्दगढ थाना प्रभारी धर्म सिंह, हल्का पटवारी विकास यादव, कालाडेरा सरपंच अशोक कुमार शर्मा, पूर्व सरपंच विष्णु नागर, व्यापार मंडल अध्यक्ष हनुमान खोज, हाजी सिराजुद्दीन तेली, फजलुद्दीन, हाजी इकरामुद्दीन, रमजान कुरैशी, सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और समझाईश की।

दो समुदायों के बीच उपजा विवाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आपसी सहमति के बाद खत्म हो गया। दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोगों ने बोर्ड हटाने व पूर्व की स्थिति की यथावत रखने पर लिखित में सहमति दी। जिसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने बोर्ड को हटवा दिया। चौमूं उपखण्ड अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण व जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धर्मेन्द्र यादव ने दोनों समुदाय के लोगों से समझाईश की।

इसके बाद दोनों समुदाय के प्रबुद्धजनों को पुलिस थाने में वार्ता के लिए बुलाया गया। पुलिस थाने में अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों समुदाय के लोगों के बीच पूर्व की स्थिति को यथावत रखने, बोर्ड हटाने व आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर लिखित में सहमति बनी। इसके बाद मामला शांत हुआ।

मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने से गुस्साए हिन्दू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया।

- प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच पूर्व स्थिति को यथावत रखने की सहमति बनी
- मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगाए गए बोर्ड को हटाया गया, दोनों पक्षों ने लिखित में दी सहमति

‘कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर’

जयपुर, (निसं)। राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने अलवर जिले के बानसूर विधानसभा में आयोजित जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के विरूद्ध भाजपा की जनाक्रोश यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है।

कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त आम जनता ने राजस्थान में पुन: सुशासन कायम करने हेतु कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प ले लिया है। रामलीला मैदान में आयोजित जन आक्रोश सभा में सांसद दीया ने कहा की प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लगभग 8 लाख से ज्यादा अपराधिक मुकदमें दर्ज हो चुके हैं, प्रतिदिन 7 हत्याएं हो रही है, दलितों पर लगभग 21 हजार मामले दर्ज हुए, एससी, एसटी पर अत्याचार के मामले बढ़े है।

कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद राजवर्धन राठौड, भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, जिला संगठन प्रभारी मनीष पारिक, युआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, कोटपूतली भाजपा प्रभारी भूपेश गोयल, जयपुर जिला देहात प्रभारी सतवीर यादव, बानसूर विधान सभा यात्रा प्रभारी कैलाश तरवर, जिला संयोजक माघ सिंह चौधरी, विधानसभा संयोजक सुभाष स्वामी समेत समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे।

- सांसद दीया कुमारी ने बानसूर में जनाक्रोश सभा को संबोधित किया

बानसूर विधानसभा में आयोजित जनाक्रोश सभा में सांसद दीया कुमारी, घनश्याम तिवाड़ी, राजवर्धन राठौड़ ने भाग लिया।

बैंक प्रबंधकों की बैठक

बहरोड़/ नीमराना, (निसं)। बहरोड़ कस्बे के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित वृताधिकारी कार्यालय बहरोड़ पर डीएसपी आनंद राव तथा थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने एटीएम आदि लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए समस्त बैंक एवं एटीएम की सुरक्षा के संबंध में सायं 4 बजे समस्त बैंक प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान बैंक प्रबंधकों से वार्ता के पश्चात डीएसपी आनंद राव ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त बैंकों को पूर्व में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चैनल गेट के साथ ही पारदर्शी दरवाजा तथा सीसीटीवी की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया था वहीं उन्होंने बहरोड़ के नेशनल हाईवे पर हाल ही में एटीएम काट कर लगभग 15 लाख रुपए लूटने की घटना पर बताया कि कस्बे के लगभग 24 एटीएम पर पुलिस की नजर रहती है परंतु बैंकों की भी कुछ कमियां होने की वजह से शटर लगे एटीएम तथा चैनल गेट एवं पारदर्शी दरवाजा नहीं होने की वजह से बैंकों की लापरवाही भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो जाती है।

बिजली कटौती पर हंगामा

नारायणपुर, (निसं)। उपखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के ग्रामीण व किसानों ने गुरुवार को स्टेट हाइवे 52 नारायणपुर-बानसूर सड़क मार्ग पर लकडी डालकर चक्का जाम कर दिया। जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। युवा नेता राकेश दायमा, रतन लाल जांगिड़ ने बताया कि इनदिनों विद्युत विभाग की इतनी ज्यादा मनमानी है कि किसानों को मात्र 2 से 3 घंटे बिजली दी जा रही है। उसमें भी 20 बार बिजली काटी जाती है। जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। बिजली कटौती से क्षेत्र में पेयजल समस्या भी बनी हुई है। आक्रोशित किसानो ने करीब 2 घंटे तक हाइवे को जाम रखा।

आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे पर बैठकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही कानून व्यवस्था बनाने के लिए, बानसूर पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन ज्ञानपुरा से 5 किलोमीटर दूर नारायणपुर से बिजली विभाग और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने जाम लगाए रखा। करीब 2 घंटे के बाद विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता डीके कोली मौके पर पहुंचे और बिजली कटौती में सुधार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। इधर युवा नेता राकेश दायमा ने बताया कि अगर जल्द बिजली कटौती में सुधार नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जायेगा। इस मौके पर ज्ञानपुरा पटवारी मनोज कुमार जाट, चतरपुरा पटवारी रोहिताश योगी, सुंदर लाल मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

आवेदन की अंतिम तिथि कल

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान द्वारा दी जाने वाले गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु पात्र बालिकाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर शनिवार है। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत रही सैकेंडरी अथवा प्रवेशिका परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाली वे बालिकाएं जो कक्षा 11 में नियमित अध्ययन कर रही है उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रथम किस्त की राशि तीन हजार दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन बालिकाओं ने 2021 में आवेदन किया था, उन्हें द्वितीय किस्त के लिए 2022 में पुन: आवेदन करना होगा। सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 75 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में पांच हजार की राशि दी जाती है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मालीराम रैगर ने बताया कि पात्र बालिकाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

17 साल की किशोरी का शव मिला

अलवर, (निसं)। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के खेडका गांव में 17 साल की किशोरी का शव रात 1 बजे खेत में मिला। परिजनों ने अपहरण कर मर्डर किए करने की रिपोर्ट दी है। पुलिस रात से मामले की जांच में लगी है। गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका किशोरी की बुआ बबीता ने बताया कि बुधवार रात को करीब 1 बजे पुलिस से पता लगा कि उनके भाई मुरारी की बेटी कृतिका का शव पास के खेत में पड़ा है।

मुनि मर्यादा सागर महाराज का संल्लेखना के साथ हुआ समाधिमरण

निवाई, (निसं)। सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं आर्यिका विज्ञाश्री माताजी के सानिध्य में गुरुवार को मुनि मर्यादा सागर महाराज का संल्लेखना पूर्वक समाधिमरण हुआ।

जैन समाज के प्रवक्ता विमल जौला व राकेश संघी ने बताया कि राष्ट्र गौरव आचार्य वर्धमान सागर महाराज के कुशल निर्यापकत्व में समस्त संघ के सानिध्य में अरिहंत सिद्ध श्रवण करते हुए समाधिमरण हुआ। जौला ने बताया कि पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि निर्यापकाचार्य आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं समस्त संघ से क्षमा याचना कर मुनि मर्यादा सागर महाराज ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर यम संल्लेखना अंगीकार की। मुनिश्री की सम्यक रुपण आचार्यश्री के मुख से अरिहन्त सिद्ध सुनते हुई समाधि हुई। विमल जौला व पवन बोहरा ने बताया कि मुनिश्री के डोले के आगे कमण्डल लेकर भूमि शुद्धि करने का सोभाग्य पारस जैन परिवार जबलपुर को प्राप्त हुआ। जौला ने बताया कि गुरुवार को सुबह एकत्र मुनिश्री मर्यादा सागर जी की डोल यात्रा का जुलूस गाजेबाजे के साथ निकाला गया जो निवाई के खारी कुंई, चोहट्टी बाजार, बिलाला चौक, सब्जी मंडी, बड़ा बाजार, बस स्टैंड, अहिंसा सर्किल होते हुए पारसनाथ उद्यान नसियां जैन मंदिर पहुंचा जहा मुनिश्री का अंतिम संस्कार किया गया।

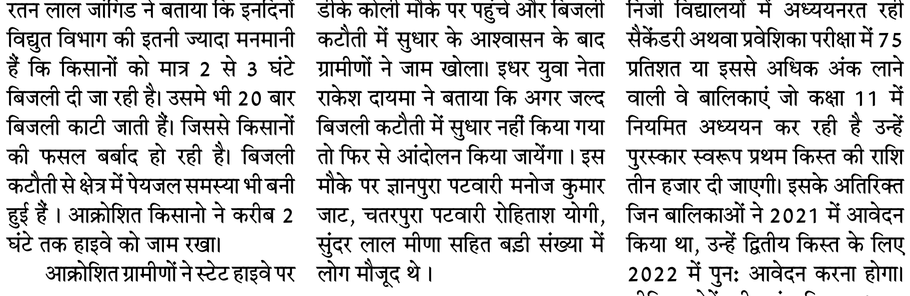

मुनि मर्यादा सागर महाराज का संल्लेखना पूर्वक समाधिमरण के दौरान डोल यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए।

मांगों को लेकर हुंकार रैली एक को

श्रीमाधोपुर, (निसं)। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के मुद्दों को लेकर हुंकार रेली एक जनवरी रविवार को निकाली जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम चौधरी के नेतृत्व में निकाले जाने वाली रेली एक जनवरी को अजीतगढ से शुरू होगी।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक | Punjab & Sind Bank

पंजाब एण्ड सिंध बैंक आंचलिक कार्यालय, जयपुर 30-31 मोहन टावर, विद्युत नगर, जयपुर 302021

निविदा सूचना

आंचलिक कार्यालय जयपुर के अंतर्गत शाखाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र गार्ड प्रदान करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी के कार्य के लिए निविदा।

बैंक, आंचलिक कार्यालय जयपुर के तहत अपने शाखाओं के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्य के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी / वित्तीय) के तहत पूर्व सैनिक सशस्त्र गार्ड प्रदान करने के लिए सील बंद निविदाओं को आमंत्रित करता है। बोली "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" के रूप में चिह्नित कर लिफाफे पर " आंचलिक कार्यालय जयपुर के अंतर्गत शाखाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र गार्ड प्रदान करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी के कार्य के लिए प्रस्ताव" का उल्लेख करते हुए अलग-अलग सीलबंद कवरों में होनी चाहिए और निविदाएं पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर, 30-31 मोहन टावर, प्रिंस रोड, विद्युत नगर ,अजमेर रोड, जयपुर-302021 पर दिनांक 18.01.2023 सांयकाल 05.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईड www.punjabandsindbank.co.in पर जाएं।

दूरभाष:- 0141-2358628,2358350

आंचलिक प्रबंधक (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय अपर जिला जजी नं.- 2- हिण्डौन सिटी फतेहसिसंह बगै. विरूद्ध मोहरसिंह आदि अपील दीवानी दीवानी अपील प्रकरण संख्या 189 सन् 2014 बनाम:- मुसम्मी 1. श्रीमति लक्ष्मी उम्र 56 साल पत्नि स्व. शिवचरण, 2, वीरेन्द्रपाल उम्र 28 साल पुत्र स्व. शिवचरण 3. यशपाल उम्र 24 साल पुत्र स्व. शिवचरण जाति धाकड निवासी गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर, 4. पप्पो देवी उम्र 48 साल पत्नि विजेन्द्र पुत्री स्व. किरोडी जाति धाकड निवासी भगोरी जिला भरतपुर।, 5. ओमवती उम्र 36 साल पत्नि महेन्द्र पुत्री स्व. किरोडी जाति धाकड निवासी नाई की मंडी, आगरा जिला आगरा। चूंकि:- अपीलान्ट ने इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को मुकदमा फतेहसिंह आदि बनाम मोहरसिंह आदि में यह आवेदन किया है कि मुकदमा के रेस्पोडेन्ट शिवचरण एवं किरोडी अपील के विचाराधीन फौत हो गये है और चूंकि अपीलान्ट फतेहसिंह आदि मजकूर ने दरखास्त अदालत हाजा में यह जाहिर किया है कि आप मुतवफ्फी मृतक शिवचरण व किरोडी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस दुआ की है कि बजाय उनके आप के पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाये जावे। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जबाब देही आपको दिनांक 03 माह 01 सन् 2023 को दिन में 10.30 AM को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुनावे फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज ता. 21 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया है।

(मुहर) **आज्ञा से सीनीयर रीडर**
अपर जिला एवं सैशन न्यायालय
हिण्डौन सिटी (करौली)

NAME CHANGE

I Army no TJ5355H Rank Ex SUB Bhoop Singh S/O Sultan Singh R/O 99-A Bal Vihar Colony Joshi Marg kalwar road jhotwara Jaipur That I have changed my wife name From KISHNA DEVI (15 Feb 1967) is wrong entered in service record To KRISHNA DEVI (7 aug 1966) vide affidavit dated 26 dec 2022 before district notary Jaipur

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4962 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.21 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आवेदक की दुकान पश्चिम में आवेदक की दुकान, उत्तर में बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में दुकान श्री पवन कुमार कयाल की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 14'-5" व उत्तर-दक्षिण 27'-2" कुल रकबा 36.38 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4938 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.24 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.24 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में अन्य दुकान अन्य की, पश्चिम में दुकान श्री रेखराज नारनोली की, उत्तर में बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में हवेली श्री महावीर प्रसाद खुटेटा वगैरह की होकर स्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 14'-2" व उत्तर-दक्षिण 26'-0" कुल रकबा 34.21 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4944 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.20 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.20 अवस्थित भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में शामिलाती हवेली दुसाद परिवार की उत्तर में हवेली स्व.श्री अभयलाल स्वामी की एवं दक्षिण में आवास श्री मांगीलाल सेवदा का व हवेली कसेरा परिवार की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम उत्तरी भुजा 62'-0", दक्षिणी भुजा 21'-0"+41'-0", उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 63'-6" एवं पश्चिमी भुजा 48'-6"+15'-0" होकर कुल रकबा 336.49 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4956 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.21 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आवेदक की दुकान पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में दुकान श्री पवन कुमार कयाल की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 16'-9" व उत्तर-दक्षिण 27'-2" कुल रकबा 42.27 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4947 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.24 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.24 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में दुकान श्री अशोक थोईवाला की, उत्तर में आवास श्री सांवरमल थोई-वाला का एवं दक्षिण में मैन रोड सुराणी बाजार होकर स्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 16'-2" व उत्तर-दक्षिण 26'-4" कुल रकबा 39.55 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4959 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.18, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.18 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में बरामदा व आगे मैन रोड खण्डेला बाजार, पश्चिम में अन्य की भूमि, उत्तर में दुकान श्री नन्द किशोर खुटेटा वगैरह की एवं दक्षिण के दुकान श्री रतनलाल कसेरा की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 11'-6" व उत्तर-दक्षिण 10'-11" कुल रकबा 11.63 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4953 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.20, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.20 अवस्थित भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में केशवदास जी मंदिर का भवन व अन्य हवेली एवं आगे अग्राल समाज का भवन, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में आम रास्ता होकर स्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम उत्तर भुजा 52'-5"+7'-8"+68'-5"+3'-10" दक्षिण भुजा 122'-3"+3'-11" उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 60'-2"+45'-8"+19'-0" एवं पश्चिमी भुजा 62'-0"+3'-0"+60'-4" होकर कुल रकबा 1115.28 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4941 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.18, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.18 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में दुकान का शेष हिस्सा व बरामदा एवं आगे रोड खण्डेला बाजार, पश्चिम में नौहरा हरभजनका परिवार का, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में दुकान श्री ओमप्रकाश कसेरा की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम उत्तरी भुजा 11'-11", दक्षिणी भुजा 11'-9", व उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 16'-6" एवं पश्चिमी भुजा 16'-9" होकर कुल रकबा 18.28 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4950 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.21 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आवेदक की दुकान पश्चिम मे आवेदक की दुकान, उत्तर मे बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में नोहरा बाहेती परिवार का होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 18'-0" व उत्तर-दक्षिण 27'-2" कुल रकबा 45.42 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4965 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.27, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.27 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में अन्य दुकाने गणपति फुटवीयर, पश्चिम में आवास श्री रतन सिंह साहनी का, उत्तर में आवास श्री रतन सिंह साहनी का एवं दक्षिण में बरामदा व आगे मैन रोड खटोडा बाजार होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 14'-10" व उत्तर-दक्षिण 16'-8" कुल रकबा 22.96 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4932 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.24 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.24 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब मे अन्य दुकाने श्री सालिगराम चौधरी की, पश्चिम में दुकान श्री विनोद कुमार चौधरी वगैरह की, उत्तर में बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में हवेली चौधरी परिवार की होकर स्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 14'-3" व उत्तर-दक्षिण 26'-0" कुल रकबा 34.42 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4968 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.18 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.18 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में आवास गोपालका परिवार का, उत्तर में दुकान श्री गोविन्दराम सोनी की एवं दक्षिण में दुकान श्री पिन्टू गोपालका की होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 27'-3", व उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 8'-8" एवं पश्चिमी भुजा 11'-1" होकर कुल रकबा 24.99 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रारूप-5 (नियम 6(2) देखिए)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4935 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-28.12.2022

सेठ मोतीलाल मानपुरिया फैमिली ट्रस्ट, 13 रूपचंद राय स्ट्रीट, फर्स्ट-फ्लोर, बडा बाजार पुलिस स्टेशन के पास, कोलकता (700007) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र स्व.श्री साथुराम मानपुरिया वार्ड नं.21 सुरानी बाजार, कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 अवस्थित व्यावसायिक भूखण्ड	चर्तु सीमाऐं पूरब में दुकान श्री शिव करन कारिया वगैरह की, पश्चिम में आवेदक की दुकान, उत्तर में बरामदा व आगे मैन रोड सुरानी बाजार एवं दक्षिण में नोहरा बाहेती परिवार का होकर स्थित हैं।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब-पश्चिम 14'-5" व उत्तर-दक्षिण 27'-2" कुल रकबा 36.38 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28.12.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर